संचिका सं0–14/डी0 एल0 ए0 बेगू0 (संपर्क पथ) –88/2012– 38../रा0 पटना, दि0–07/01/2013 (21)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0../रा0,पटना/दिनांक ....

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–अमारी ,थाना नं0–59 ,थाना–बेगूसराय परगना– भूसारी जिला–बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात– सम्पर्क पहूँच पथ हेतु भू–अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम अमारी, थाना नं0–59 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश बी0–x क0–x धुर–x है जो 0.045 एकड़ के बराबर होता है। और जिसका पूर्ण सर्वे खेसरा सं0– x तथा आंशिक सर्वे खेसरा सं0–1510 है और इसकी चोहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर	सर्वे सड़क
दक्षिण	सर्वे खेसरा सं0–1513
पूरब	आंशिक सर्वे खेसरा सं0 1510
पश्चिम	आंशिक सर्वे खेसरा सं0 1510

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, पत्थर , लोहा , स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों या खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसमें निर्माण के लिए खोदना ,हटाना या उपयोग में लाना हो ,ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 एवं भू–अर्जन संशोधन अधिनियम 1984 के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है ,जिनका इससे संबंध हो ।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्त्ता सरकार के अवर सचिव

बेगूसराय।

ज्ञापांक संख्या–14 / डी0 एल0 ए0 बेगू0 (संपर्क पथ) –88 / 2012 – 38 / रा0,

दि0 – 07 – 01 – 13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, बेगूसराय को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / समाहर्त्ता, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।